बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

आ0सं0: यो0स्था04 / 3–05 / 2025 / यो0वि0,पटना,दिनांक अप्रैल, 2026

आदेश

श्री राहुल रंजन, सहायक योजना पदाधिकारी–सह–प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के विरूद्ध गठित आरोप पत्र खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5079 दिनांक–10.09.2025 द्वारा नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया। दिनांक–10.01.2025 से 01.07.2025 तक खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, सारण के प्रभार अवधि के दरम्यान सारण जिलान्तर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण में जप्त वाहनों को बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित, 2021 के सुसंगत नियमों के तहत राज्यसात किये गये वाहनों की नीलामी की गई।

उक्त नीलामी में वाहन संख्या–OD05AV-8575 की नीलामी 8,06,000 / – (रूपये आठ लाख छः हजार मात्र) में हुई थी। सफल डाकवक्ता द्वारा जमा की गई DD की राशि सरकारी खाते में जमा नहीं किए जाने, निविदा के नियम के तहत 25 प्रतिशत बोली की तिथि को तथा शेष राशि 05 दिनों के अन्दर निविदा दाता को जमा करने की बाध्यता का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व की क्षति हुई।

उक्त आरोप हेतु श्री रंजन के विरूद्ध विभाग स्तर से गठित आरोप पत्र विभागीय पत्रांक–6074 दिनांक–05.11.2025 द्वारा उन्हें उपलब्ध कराते हुए इस संबंध में विभाग को स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया जिसके अनुपालन में उनके द्वारा जिला योजना कार्यालय के पत्रांक–173 दिनांक–18.11.2025 द्वारा स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण पर खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गई। तत्पश्चात उनके द्वारा अपना मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराए गए आरोप पत्र, श्री रंजन द्वारा समर्पित किया गया स्पष्टीकरण एवं स्पष्टीकरण पर प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त स्पष्ट होता है कि उक्त घटनाक्रम श्री रंजन के प्रभार ग्रहण करने के पूर्व ही घटित हो चुका था। उनके पास तीन–तीन कार्यालयों का कार्यबोझ रहने के बावजूद भी मामले को संज्ञान में आने के पश्चात् उनके द्वारा तत्परता दिखाई गई एवं कार्य को मुर्त रूप दिया गया।

सम्यक् समीक्षोपरांत श्री रंजन, तत्कालीन सहायक योजना पदाधिकारी–सह–प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी, सारण, छपरा सम्प्रति सहायक योजना पदाधिकारी–सह–प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है।

आदेश प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(रविश किशोर)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : योे0स्था04 / 3—05 / 2025 / यो0वि0,पटना,दिनांक अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना (पत्रांक—5079 दिनांक—10.09.2025 के प्रसंग में) / श्री राहुल रंजन, तत्कालीन सहायक योजना पदाधिकारी—सह—प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी, सारण, छपरा सम्प्रति सहायक योजना पदाधिकारी—सह—प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : यो0स्था04 / 3—05 / 2025 – 1897. / यो0वि0,पटना,दिनांक 15. अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि— आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15.4.26

सरकार के संयुक्त सचिव

15